शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X,
Vol. X, No.II, pp (375-388) April- June 2019

एकल अविवाहित महिलाओं की विवाह संस्था के प्रति मनोदशा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 (श्रीमती) अखिलेश
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
जी0एस0एच0 कॉलेज, चान्दपुर (बिजनौर)
Email: akhileshchauhan6699@gmail.com

सारांश

अविवाहित महिला को 'एकल महिला' की संज्ञा दी गयी है। समाजशास्त्रीय भाषा में इन्हें 'स्पिन्स्टर्स' (Spinsters) कहा जाता है। एकल अविवाहित महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं उनकी समस्याओं आदि को लेकर डिक्सन, हाफ्रटॉन, वैटकिन्स, उर्मिला जैथानी, एन0एस0 कृष्णाकुमारी के द्वारा किये गये अध्ययन विषेश रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। अध्येत्री ने वर्तमान परिवेश में एकल अविवाहित महिलाओं के विवाह एवं विवाह संस्था के प्रति विचार जानने का प्रयास किया है। प्रस्तुत लेख पूर्ण रूप से आनुभविक अध्ययन (Empirical Study) है। सूचनादात्रियों का प्रतिदर्शन 'स्नोबाल निदर्शन प्रविधि' (Snowball Sampling Technique) से किया गया है तथा विभिन्न चरों पर प्राप्त सूचनादात्री अभिमतों का सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किये हैं। निष्कर्ष स्वरूप एकल अविवाहित महिलाएं (कामकाजी और गैर–कामकाजी) विवाह को एक बन्धन मानती हैं, जिसे वैयक्तिक जीवन के लिए अधिक अच्छा नहीं समझतीं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादात्री आर्थिक सम्पन्नता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, पारिवारिक जिम्मेदारियों, विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को वरीयता देने के कारण अविवाहित रही हैं।

मुख्य शब्द : *स्पिन्स्टर्स, एकल, स्नोबॉल, प्रतिचयन, परित्यक्त, कारोबारी, गैर–कारोबारी, गुण–साहचर्य, सार्थक सम्बन्ध, काई वर्ग मूल्य।*

प्रस्तावना

''विवाह व्यक्ति के 'जीवन प्रतिमान' (Life style and pattern) को बदलकर रख देता है।'' महिलाओं के संदर्भ में यह बात और भी सच प्रतीत होती है क्योंकि विवाह के बाद इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ–साथ सम्पूर्ण पहचान बदल जाती है सृष्टि की संतति एवं सामाजिक जीवन के संदर्भ में विवाह एक जरूरी आवश्यकता है, समाज इसके लिए व्यक्ति को सदैव अभिप्रेरित और 'अकेले व्यक्ति' को हतोत्साहित करता रहता है।

वैदिक कालीन भारत में 'अकेली स्त्री' की सामाजिक स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उसे समाज में उच्च सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त थी। पुत्री के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं माना जाता था और 'विवाह' को आज तरह अधिक जरुरी नहीं समझा जाता था। पुत्री अपनी

इच्छानुसार जीवनसाथी तलाष कर सकती थी और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता था तो वह अकेले (Single) रहना ही उचित समझती थी। ऐसी स्त्रियां समाज में सम्मानीय स्तर एवं अधिकारिता को भी प्राप्त थीं, किन्तु वैदिक काल के तदन्तर स्त्रियों के सामाजिक प्रस्थिति का ह्रास होने लगा।

मध्यकाल में पुत्री के विवाह के समय पिता को दहेज (Dovery) देने का चलन अस्तित्व में आ गया और जो पिता दहेज देने में असमर्थ थे, उनकी पुत्रियां अविवाहित रह जाती थीं। जिसे काफी हेय की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसी का यह परिणाम रहा कि समाज में 'पुत्री–जन्म' को एक समस्या माना जाने लगा। कालान्तर में अकेली स्त्री का समाज में भी अनादर होने लगा और उसे शंकित नजरों से देखा जाने लगा।

स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात भारतीय समाज के अन्तर्गत नारी–विमर्श में सतत् परिवर्तन देखा जा रहा है। अब भारतीय समाज एक अकेली स्त्री को सामाजिक बुराई के रूप में नहीं देख रहा है। आज अधिकांश माता–पिता अपनी पुत्रियों को इस प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं कि वे शादी एवं जीवनसाथी के चयन में अपने विचार रख सकें। ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ लड़कियां समाज में प्रचलित विवाह की अनिवार्यता सम्बन्धी सांस्कृतिक मान्यताओं को आवश्यक नहीं समझतीं और वे जीवन पर्यन्त अकेले रहना पसन्द करती हैं। देखने में यह भी आ रहा है कि कुछ युवतियां जीवन की महत्वाकांक्षाओं का मूर्त रूप देने, परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन को प्राथमिकता प्रदान करने, समाज में विवाहित महिलाओं के साथ उनके परिजनों द्वारा किये जा रहे अमानवीय, अनैतिक एवं असंवैधानिक व्यवहारों आदि को देखते हुए वे विवाह किये बगैर अकेला रहना पसन्द करने लगी हैं। भारतीय संस्थाओं में अनेक महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया और अकेले रहकर अपने–अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती दिवंगत सुश्री जयललिता (पूर्व मुख्यमंत्री, तमिलनाडू) और टी0एम0सी0 अध्यक्षा सुश्री ममता बनर्जी, इसके जीवन्त उदाहरण हैं।

अध्ययन समस्या

सामान्य रूप से समाज में 'एकल महिलाएं, वे महिलाएं हैं जो पुरुष साथी के बिना जीवन निर्वाह करती हैं। इस आधार पर इस श्रेणी में विधवा एवं परित्यक्त, तलाकशुदा आजीवन अविवाहित महिलाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। पुरुष सुरक्षा एवं संरक्षण के अभाव में समाज इन महिलाओं के प्रति एक अलग प्रकार की सोच एवं मनोदशा रखता है। यद्यपि तलाकशुदा परित्यक्त एवं विधवा महिलाएं विवाह संस्था से गुजर चुकी होती हैं किन्तु पति की मृत्यु हो जाने अथवा विवाह–विच्छेद हो जाने अथवा पति द्वारा छोड़ दिया जाने के कारण वे भी अकेली रहकर जीवन व्यतीत करती हैं। कुछ व्यवस्थाओं को छोड़कर प्रायः इन श्रेणियों की महिलाओं का जीवन भी ''अविवाहित एकल महिलाओं'' जैसा ही गुजरता है। ये सभी एकल महिलाएं सामान्य महिलाओं की तरह आम समस्याओं से गुजरने के साथ–साथ कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं से भी गुजरती हैं जिसे प्रस्तुत लेख में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन समस्या का पुनरावलोकन

एकल अविवाहित महिलाएं वे महिलाएं हैं जो किसी भी कारण से आजीवन अविवाहित जीवन यापन करती हैं। एकल अविवाहित महिलाओं के सम्बन्ध में **डिक्सन** (1978), **हफ्रटॉन** (1984) तथा **वैटकिन्स**(1984), **उर्मिला जैथानी**(1994) के विचार अधिक प्रासंगिक हैं। समाजशास्त्र में 'अविवाहित एकल महिलाओं' के लिए **'स्पिन्स्टर्स'** (Spinsters) शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें वे एकल अविवाहित महिला सम्मिलित हैं जिनकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होती है और आजीवन अविवाहित रहती हैं। **सावित्री परमार** (1974), **निर्मला ऋतु**(1977), **नीलम मल्होत्रा**(1984) ने बताया कि घर पर पिता का न होना, भाई–बहन की जिम्मेदारियों तथा उपयुक्त व्यक्ति का न मिलना, इसके प्रमुख कारण हैं।

एन0एस0 कृष्णाकुमारी[1] द्वारा किया गया **''स्टेट्स ऑफ सिंगल वुमन इन इण्डिया''** रूपी अध्ययन शोध समस्या के विभिन्न पक्षों पर तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है। इन्होंने अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा एकल महिलाओं को दो श्रेणियों (कार्यशील एवं अकार्यशील) में विभक्त कर अध्ययन किया। बंगलौर शहर से सम्बन्धित यह अध्ययन 62 कार्यशील एवं 23 अकार्यशील अविवाहित एकल महिलाओं, 62 कार्यशील तथा इतनी ही अकार्यशील विधवा महिलाओं तथा 62 कार्यशील तथा इतनी ही अकार्यशील तलाकशुदा/परित्यक्त एकल महिलाओं (कुल 372 प्रतिदर्श इकाईयों में से 333 प्रतिदर्श सूचनादात्रियों के साक्षात्कार) पर आधाारित है।

'कृष्णा कुमारी' ने निष्कर्ष रूप में बताया कि उक्त तीनों श्रेणी (अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा) की एकल महिलाओं को परिवार में, कार्य–स्थल पर तथा समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आयु, मजहब, जाति, शिक्षा, रोजगार, आय तथा उनके सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर इनकी समस्याओं में अन्तर मिलता है।

उर्मिला जैथानी[2](Urmilla Jethani-1994) ने 'अविवाहित एकल महिलाओ' (Unmarried Single Women) से सम्बन्धित अध्ययन किया। इस शोध का प्रकाशन रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर द्वारा किया गया है। यह अध्ययन राजस्थान प्रान्त के महानगर जयपुर एवं जोधपुर की अविवाहित एकल महिलाओं (Unmarried Single Women - Spinsters) पर सकेन्द्रित है।

'जैथानी' ने जयपुर एवं जोधपुर महानगरों का अध्ययन समग्र (Universe) के रूप में चयन कर स्नोबाल प्रतिदर्शन प्रविधि (Snowball Sampling Technique) से 160 'एकल अविवाहित महिलाओं' को 'प्रतिदर्श इकाई' (Sample Units) के रूप में चयनित किया है। चयनित इकाईयों में 79.4 प्रतिशत हिन्दू, 8.1 प्रतिशत मुस्लिम, 8.1 प्रतिशत ईसाई, 3.8 प्रतिशत जैन तथा शेष 6 प्रतिशत सिख सम्प्रदाय की महिलाएं सम्मिलित थीं। जातीय आधार पर कुल चयनित इकाईयों का 44.4 प्रतिशत उच्च जातियों, 21.2 प्रतिशत पिछड़ी जातियों तथा 34.4 प्रतिशत निम्न वर्ग की जातियों से था। **जैथानी** ने निष्कर्ष रूप में कहा कि 'एकल महिलाओं' को अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है।

स्पष्ट है कि 'एकल अविवाहित महिला' वह महिला है जो 35 वर्ष की आयु हो जाने के उपरान्त अविवाहित है। समाज में इस संवर्ग की एकल महिलाएं–कारोबारी एवं गैर–कारोबारी एकल अविवाहित संवर्ग में उपविभाजित मिलती हैं। इन वर्गों की महिलाएं कुछ क्षेत्रीय एवं धार्मिक मान्यताओं के साथ लगभग समान सामाजिक समस्याओं से गुजरते हुए अवसाद ग्रस्त रहती हैं तथा कभी–कभी अप्रिय परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है।

प्रस्तुत लेख में 'एकल अविवाहित महिलाओं' की विवाह संस्था के प्रति सोच एवं विवाह संस्था से विकर्षण सम्बन्धी विचारधारा के गुणात्मक एवं सांख्यिकीय सहसम्बन्ध को स्पष्ट किया गया है। विषयक दृष्टि से कुछ प्रमुख राज्यों की अविवाहित एकल महिलाओं की गणनात्मक स्थिति को जानना अत्यन्त आवश्यक है, जो इस प्रकार है–

सारणी–1
अविवाहित एकल महिलाओं की स्थिति–2011

प्रदेश	कुल महिलाओं की संख्या	कुल एकल महिलाएं*	अविवाहित महिलाएं (सभी उम्र की)	एकल महिलाओं में अविवाहित महिलाओं का%	कुल महिलाओं में अविवाहित महिलाओं का %	कुल महिलाओं में एकल महिलाओं का %
उत्तर प्रदेश	95331831	12086019	11893864	98.41	12.44	12.68
महाराष्ट्र	54131277	6286892	6054747	96.30	11.55	11.61
आंध्र प्रदेश	42138631	4736536	4503842	95.08	10.69	11.24
प0 बंगाल	44467088	4660762	4483111	96.18	10.08	10.05
तमिलनाडु	36009055	4371638	4244658	97.09	11.79	12.14

*एकल महिलाओं में अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त एवं विधवा महिलाएं सम्मिलित हैं।

स्त्रोत :1. जनगणनासार–2011, 2. http://www.censusindia.com.in

अविवाहित एकल महिलाओं की उक्त सांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। यहां कुल एकल महिलाओं की संख्या का 98.41 प्रतिशत अविवाहित महिलाओं की है। महाराष्ट्र दूसरे, आन्ध्र प्रदेश तीसरे, पश्चिमी बंगाल चौथे तथा तमिलनाडु पांचवें स्थान पर हैं। आंकड़ों से यह जानकारी भी मिली है कि 25–29 आयु वर्ग की एकल अविवाहित महिलाओं की संख्या में 2001 से लेकर 2011 के मध्य तक 68% की वृद्धि हुई है इसी प्रकार 20–24 आयु वर्ग में यह वृद्धि 60 प्रतिशत दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट है कि देर से विवाह (Late Marriage) का चलन बढ़ रहा है चाहे इसका कारण कोई भी हो। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल महिला संख्या का 8.6% एकल अविवाहित (Single Unmarried) महिलाओं का है। कुल एकल जनसंख्या का 22.99 प्रतिशत एकल पुरुष 77.01% एकल महिलाओं का है।

शोध प्रश्न

''एकल अविवाहित'' महिलाओं में विवाह संस्था के प्रति मनोदशा अधिक सकारात्मक प्रतीत नहीं होती।

शोध विधितंत्र

प्रस्तुत लेख, उ0प्र0 राज्य के उत्तर–पश्चिम संभाग में अवस्थित जनपद बिजनौर की तहसील चान्दपुर के विकासखण्ड जलीलपुर की कारोबारी एवं गैर–कारोबारी एकल अविवाहित महिलाओं पर अभिकेंद्रित है। प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्त्रोतों की सहायता से प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रकार के तथ्य संकलित किये गये हैं। शोधार्थिनी ने केवल शोध पत्र प्रस्तुति के उद्देश्य से यह अध्ययन किया है। यह नितान्त सत्य है कि शोध समस्या पर प्रकाशित अभिलेख नाममात्र हैं। अध्येत्री को भी इस समस्या से गुजरना पड़ा है। शोध समस्या की प्रस्तुतिकरण हेतु सूचनादाता चयन के लिए अध्येत्री ने ''गैर संभावना प्रतिदर्शन'' (No-Probability Sampling) प्रविधि का उपयोग किया है जिसके पांच प्रकारों– सुविधात्मक, सोद्देश्य, कोटा, स्नो बॉल और स्वेच्छा प्रतिदर्शन में से केवल शनैः शनैः बढ़ने वाले **'स्नोबाल प्रतिदर्शन'** (Snowball Sampling) द्वारा सूचनाप्रदाता इकाईयों को चयनित कर अध्ययन समस्या पर अनुसूची आधारित साक्षात्कार के माध्यम से निर्भर योग्य सूचना/तथ्यों का संकलन किया है।

पूर्व में **बरटॉक्स एवं बरटॉक्स वियाम**, (Bertaux and Bertaux Wiame, 1981)**टेलर एण्ड बॉग्दन** (Taylor and Bogdon, 1984) द्वारा घटनाओं के गुणात्मक अध्ययन हेतु स्नोबाल प्रतिचयन का उपयोग किया गया है। सूचना संग्रहण की यह प्रविधि, प्रतिदर्श रूप में चयनित सूचनादाता अपने जैसे सूचनादाता के विषय में जानकारी देता है और अध्येता इन्हें अपने अध्ययन में सम्मिलित करता चला जाता है। अध्येत्री ने भी इसी प्रविधि का अनुसरण किया है। अध्ययन में सम्मिलित सूचनादात्रियों की प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रविधि से संकलित वैयक्तिक सूचनाएं जैसे–पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक सूचनाएं एवं उनके अविवाहित रहने के पीछे कारणात्मक विवरण इस प्रकार हैं–

सारणी–2 (अ)*

वैयक्तिक सूचनाएं

सूचनादात्री श्रेणी	मजहबी स्थिति					आवासीय स्थिति		साक्षरता स्तर		निवास स्थिति			
	हिन्दू	मुस्लिम	सिख	जैन	ईसाई	ग्राम	शहर	साक्षर	निरक्षर	संयुक्त परिवार में	अकेले	रिश्तेदार के साथ	भाई के साथ
SUM-WW (T.N.-35)	29	2	1	3	–	7	28	32	3	6	23	3	3
SUM-NWW (T.N.-14)	10	1	1	2	–	3	11	12	2	9	1	–	4
योग (T.N.-49)	39	3	2	5	–	10	39	44	5	15	24	3	7

स्रोत : सर्वेक्षण

सारणी–2(ब)*

सूचनादात्री श्रेणी	अविवाहित रहने के कारण							
	वित्तीय संकट	दहेज की मांग पूरा करने में असमर्थता	खराब पैतृक पृष्ठभूमि	समय पर माता–पिता द्वारा उचित प्रयास न करना	माता–पिता की मृत्युं	माता–पिता का चरित्र	बड़ी बहन की शादी न होना	पड़ोसी द्वारा विरोध
SUM-WW (T.N.-35)	28	21	11	15	04	08	05	08
SUM-NWW (T.N.-14)	11	10	03	12	07	04	02	12

*बहुविकल्पी सारणी

**स्त्रोत : सर्वेक्षण

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत लेख 49 (35 कारोबारी एवं 14 गैर कारोबारी) एकल अविवाहित महिलाओं के विवाह रूपी सामाजिक संस्था के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक अभिमतों पर संकेन्द्रित हैं। अन्वेषणात्मक एवं परीक्षणात्मक शोध प्ररचनाओं का अनुसरण करते हुए शोधार्थिनी ने सूचनादात्रियों से अध्ययन समस्या से सम्बद्ध विभिन्न बिन्दुओं पर प्राप्त अभिमतों के मध्य गुण–साहचर्य (Quality-Association) रूपी सम्बन्ध का परिकलन काईवर्ग सांख्यिकीय विधि (Chi-Square statistical method) से किया है।

काई वर्ग किसी चर की वास्तविक (Observed) एवं प्रत्याशित (Expected) आवृत्तियों के अन्तर की एक माप है जिसका मुख्य उद्देश्य दो गुणों के मध्य स्वतंत्रता की जांच (Test of Independance) करना होता है। प्रत्येक वास्तविक मूल्य आवृत्ति के लिए प्रत्याशित आवृत्तियों की गणना निम्न सूत्र द्वारा की गई है–

$$\text{सूत्र} = \frac{nr \times nc}{n} \qquad \text{OR}$$

$$\text{सूत्र} = \frac{\text{Sum of rows} \times \text{Sum of Columns}}{\text{Total Sum}}$$

उक्त सूत्र के आधार पर प्रत्येक वास्तविक आवृत्ति के लिए प्रत्याशित (Expected) आवर्षत्ति प्राप्त की तत्पष्चात निम्न सूत्र से Chi-Square (X^2) प्राप्त किया गया है–

$$X^2 = \left[\frac{(O - e)^2}{e} \right]$$

यह जानने के लिए कि सारणी के लिए परिकलित काई वर्ग मूल्य तथा प्रत्याशित मूल्य के मध्य अर्थहीन (Insignificant) सम्बन्ध है अथवा सार्थक (Significant) सम्बन्ध है, के लिए स्वातन्त्र्यांश संख्या (Degree of Freedom) की सहायता ली जाती है। स्वातंत्र्यांश संख्या Degree of Freedom (D.F.) को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है–

Degree of Freedom OR D.F. = (C - 1) (r - 1)

इस प्रकार प्रदत्त काई वर्ग सारणी में विभिन्न स्वातन्त्र्यांश पर दिये गये प्रत्याशित मूल्य से परिकलित काई वर्ग (Calculated Chi-Square Value) मूल्य तथा प्रत्याशित मूल्य (Probability Value) के मध्य सम्बन्ध की गणना की जाती है। व्यवहारिक रूप से काई वर्ग मूल्य ज्ञात करने के लिए सार्थकता स्तर (0.05 Probability) से सम्बन्धित मूल्य ही देखे जाते हैं। यदि हमारा काई वर्ग मूल्य (X^2) परिकलित मूल्य (Calculated Value) स्वातन्त्र्यांश मूल्य (Degree of Freedom) के आधार पर प्रत्याशित मूल्य (Probability Value) से कम आता है तो इसका अर्थ होता है कि दोनों के मध्य सम्बन्ध 'असार्थक' (Insignificant) है और यदि अन्तर अधिक आता है तो इसका अभिप्राय 'सार्थक' (Significant) सम्बन्ध से लगाया जाता है। असार्थक सम्बन्ध (Insignificant Relation) होने पर चर (Variable) तथा संदर्भ (Reference) के मध्य कोई 'गुण–साहचर्य' (Quality Association) नहीं होता और सार्थक सम्बन्ध (Significant Relation) होने पर दोनों के मध्य 'गुण–साहचर्य' (Quality Association) की बात स्वीकार कर ली जाती है। सार्थक सम्बन्ध (Significant Relation) के आधार पर ही संरचित प्राकल्पनाओं (Hypothesis) की पुष्टि और अपुष्टि की जाती है। लेखन सुविधा की दृष्टि से एकल अविवाहित कारोबारी एवं गैर कारोबारी महिलाओं को क्रमशः SUM-WW (Single Unmarried Working Woman) तथा SUM-NWW (Single Unmarried Non Working Woman) शब्दों से सम्बोधित किया गया है।

उपलब्धियां

शोध प्रश्न पर प्राप्त सूचनादात्री अभिमत के आधार पर उपलब्धियां इस प्रकार रहीं–

1. विवाह संस्था के प्रति दृष्टिकोण–

अध्येत्री ने अविवाहित सूचनादात्रियों से यह जानने का प्रयास किया कि उनके विचार से विवाह क्या है? संदर्भ विन्दु पर प्राप्त अभिमत को सारणी–3 में दर्शाया गया है–

सारणी–3*

विवाह संस्था के प्रति सूचनादात्रियों का दृष्टिकोण

विवाह क्या है?	एकल अविवाहित कारोबारीसूचनादात्री		एकल अविवाहित गैर–कारोबारी सूचनादात्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1. एक सामाजिक बंधन है	29	82.86	10	71.43	39	79.59
2. एक सामाजिक अहसान	22	62.86	08	57.14	30	61.22
3.संतति नियमन की एक प्रक्रिया	31	88.57	11	78.57	42	85.71
4.सामाजिक मान्यता प्राप्त एक संस्था	31	88.57	11	78.57	43	87.76
5.शारीरिक संसर्ग हेतु सामाजिक अनुज्ञा	30	85.71	09	64.29	39	79.59
आधार (BASE)	35	100.00	14	100.00	49	100.00

*बहुविकल्पी सारणी

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि 85.71 प्रतिशत सूचनादात्रियां 'विवाह' को संतति नियमन की एक प्रक्रिया, 87.76 प्रतिशत सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्था, 79.59 प्रतिशत शारीरिक संसर्ग हेतु सामाजिक अनुज्ञा प्रमाण पत्र एवं सामाजिक बंधन मानती हैं।

सृष्टि एवं समाज की संतति के लिए सन्तानोत्पत्ति अनिवार्य है, किन्तु समाज चाहता है कि इसके व्यक्ति सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था के स्थापन हेतु मान्य परम्परागत मूल्यों, व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं में निहित अवस्थापनाओं का अनुकरण करें। विवाह संस्था इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। सामान्य रूप से विवाह, दो विपरीत लिंगों को एक साथ रहने की सामाजिक अनुमति की तरह है जिससे उत्पन्न संतानों एवं आपसी सम्बन्धों को सामाजिक एवं न्यायिक वैधता प्राप्त होती है। इसी उपादेयता के चलते विवाह की जीवन में महत्वता और अनिवार्यता बनी हुई है। अंशमात्र अपवादों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति (स्त्री/पुरुष) विवाह करना चाहता है। अध्येत्री ने सूचनादात्रियों से इस संदर्भ बिन्दु पर पृच्छा की, क्या विवाह प्रत्येक व्यक्ति (स्त्री/पुरुश) के लिए जरुरी है? प्रतिक्रियात्मक स्वरूप प्राप्त सूचनादात्री प्रत्युत्तरों को सारणी–4 में अवलोकित किया जा सकता है–

सारणी–4

सूचनादात्रियों का विवाह की अनिवार्यता के प्रति दृष्टिकोण

क्या विवाह अनिवार्य है?	एकल अविवाहित कारोबारीसूचनादात्री		एकल अविवाहित गैर–कारोबारी सूचनादात्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	11	31.43	8	57.14	19	38.78
नहीं	24	68.57	6	42.86	30	61.22
कुल योग	35	100.00	14	100.00	49	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श सूचनादात्री वर्ग की मनोदशा में एक नया परिवर्तन आया है जिसके अन्तर्गत वह विवाह को अनिवार्यता की श्रेणी में नहीं रखतीं।सारणी में प्रश्नोत्तर पर सूचनादात्रियों का क्रमशः 68.57 प्रतिशत तथा 42.86 प्रतिशत नकारात्मक अभिमत इसी बात की पुष्टि करता है। एकल अविवाहित कारोबारी सूचनादात्रियों का 31.43 प्रतिशत तथा एकल अविवाहित गैर कारोबारी सूचनादात्रियों का 57.14 प्रतिशत एवं कुल अविवाहित सूचनादात्रियों का 38.78 प्रतिशत अविवाहित रहने के बावजूद विवाह को जीवन की एक अनिवार्यता रूप में स्वीकार करता है।

सारणी–4 में संदर्भ विन्दु पर सकारात्मक अभिमत प्रकट करने वाली सूचनादात्रियों से अभिमति के पक्ष में विचार प्रकट करने के लिए कहा गया, जिसका सांख्यिकीय अभिरूप सारणी–5 में दर्शाया गया है–

सारणी–5*

सहमति प्रकट करने वाली सूचनादात्रियों का विवाह की अनिवार्यता के प्रति दृष्टिकोण

विवाह की अनिवार्यता?	एकल अविवाहित कारोबारी सूचनादात्री		एकल अविवाहित गैर–कारोबारी सूचनात्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
विभिन्न धार्मिक कृत्वों की पूर्ति	10	90.91	8	100.00	18	94.74
महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा	10	90.91	7	87.50	17	89.47
संतानों की वैधता	8	72.73	7	87.50	15	78.95
नैतिक संरक्षण	8	72.73	5	62.50	13	68.42
जीवन की सार्थकता का एहसास	9	81.82	6	75.00	15	78.95
जीवन की महत्ता का एहसास	9	81.82	6	75.00	15	78.95
सृष्टि की संतति में सहयोग	7	63.64	6	75.00	13	68.42
भावनाओं/महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति	11	100.00	7	87.50	18	94.74
आधार (BASE)	11	100.00	8	100.00	19	100.00

*बहुविकल्पी सारणी

विवाह की अनिवार्यता पर सकारात्मक अभिमत प्रकट करने वाली सूचनादात्रियों में अधिकांश सूचनादात्रियां विभिन्न धर्मों (कर्तव्यों), महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति एवं सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए इसे अनिवार्य मानती हैं।

अध्येत्री ने सूचनादात्रियों के शिक्षा स्तर को विवाह की अनिवार्यता से जोड़कर देखने का भी प्रयास किया। इसके लिए केवल उन्हीं सूचनादात्रियों से ही अभिमत प्राप्त किया जिन्होंने विवाह को जीवन के लिए अनिवार्य बताया। इस बिन्दु पर प्राप्त अभिमतात्मक स्थिति को सारणी–5 में देखा जा सकता है–

सारणी–6

विवाह संस्था के प्रति सकारात्मक सोच और शिक्षा के मध्य सम्बन्ध की स्थिति

विवाह क्या है?	एकल अविवाहित कारोबारीसूचनादात्री		एकल अविवाहित गैर–कारोबारी सूचनादात्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
प्राइमरी–माध्यमिक	3	27.27	2	25.00	5	26.31
स्नातक–स्नातकोत्तर	3	27.27	3	37.50	6	31.58
प्रशिक्षित स्नातक एवं स्नातकोत्तर	3	27.27	2	25.00	5	26.31
निरक्षर	2	18.18	1	12.50	3	15.79
कुल योग	11	99.99	8	100.00	19	99.99

गुण–साहचर्य एवं सार्थक सम्बन्ध की गणना

Calculated Chi-Square = .262

Degree of Freedom = 3

Probability Chi-Square Value at 3 Degree of Freedom = 7.82

Result = Insignificant Relation

उक्त सारणी में प्रदत्त समंक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षित सूचनादात्रियों ने कम शिक्षित महिलाओं की तरह ही विवाह को स्त्री वर्ग के लिए अनिवार्य बताया है। उक्त सारणी से एक तथ्य यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कारोबारी एवं गैर–कारोबारी सूचनादात्रियों का संदर्भ बिन्दु पर लगभग समान अभिमत है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा और विवाह की अनिवार्यता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इसकी पुष्टि उक्त सारणी–7 के लिए परिकलित काई वर्ग मूल्य (X^2) से भी हो रही है जिसमें स्वतंत्रयांश (D.F.) 3 पर प्रॉबेबिलिटी काई वर्ग मूल्य 7.82 है जो परिकलित काई वर्ग मूल्य से अधिक है जो यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा स्तर और संदर्भ विन्दु (विवाह की अनिवार्यता) के मध्य असार्थक सम्बन्ध (Insignificant Relation) है तथा इनके मध्य 'गुण–साहचर्य' (Quality Association) भी नहीं है।

अतः शिक्षा स्तर एवं विवाह की अनिवार्यता के प्रति सोच में कई सकारात्मक सम्बन्ध प्रतीत होता है।

विवाह की अनिवार्यता के प्रति असहमति प्रकट करने वाली अविवाहित सूचनादात्रियों के विचार/दृष्टिकोण को निम्न सारणी–7 में अवलोकित किया जा सकता है–

सारणी–7*

विवाह की अनिवार्यता पर असहमति के कारण

विवाह की अनिवार्यता पर असहमति के पीछे दृष्टिकोण	एकल अविवाहित कारोबारीसूचनादात्री		एकल अविवाहित गैर–कारोबारी सूचनादात्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1. खण्डित व्यक्तिगत स्वतंत्रता	23	95.83	5	83.33	28	93.33
2. विवाह पश्चात स्त्री कीपहचान समाप्त हो जाती है	23	95.83	4	66.67	27	90.00
3. विवाह से व्यक्ति जीवनपर्यन्त बंधन युक्त हो जाता है	21	87.50	4	66.67	25	83.33
4. सामाजिक बोझ	20	83.33	5	83.33	25	83.33
5. स्वविकास के लिए समय नहीं मिलता	22	91.67	5	83.33	27	90.00
आधार (BASE)	24	100.00	6	100.00	30	100.00

*बहुविकल्पी सारणी

उक्त सारणी से स्पश्ट होता है कि विवाह के प्रति असहमति प्रकट करने वाली अधिकांश सूचनादात्रियां यह सोचती हैं कि विवाह के पश्चात स्त्री वर्ग की वैयक्तिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, उसे सदैव अपने पति एवं ससुराल पक्ष के बन्धन में रहना पड़ता है। 90 प्रतिषत यह भी मानती हैं कि विवाह के बाद स्वविकास के लिए समय नहीं मिलता, इस कारण उसकी अपनी पहचान भी समाप्त हो जाती है। 83.33 प्रतिशत मानती हैं कि विवाह के पश्चात स्त्री को 'प्रतिबन्धों का जाल' (Web of Restrictions) सदैव घेरे रहता है।

2. विवाह–विच्छेद के प्रति अभिमत :

कपाडिया[3](1966), **फोन्सेका**[4] (1966), **गोरे**[5] (1968) तथा **मेहता**[6] (1976) आदि ने स्पश्ट किया कि धर्मसूत्र(600–300 बी0सी0) के समय से ही हिन्दू धर्म 'विवाह विच्छेद' के विरुद्ध रहा है। विवाह संकल्पना में परिवर्तन के साथ विवाह–विच्छेद सम्बन्धी मनोवषत्ति में भी परिवर्तन

आ गया। व्यक्तिवाद के बढ़ने के साथ अब यह सोचा जाने लगा कि समाज को क्या स्वीकार्य है? या क्या पसंद है? कोई अर्थ नहीं रखता, बल्कि एक व्यक्ति स्वयं क्या सोचता है? वह क्या पसंद करता है? अर्थयुक्त हो गया है। इस प्रकार की सोच विवाह–विच्छेद की घटनाओं को प्रोत्साहित करती है। हिन्दू विवाह अधिनियम–1955 में एक स्त्री को भी विवाह–विच्छेद का कानूनी अधिकार प्राप्त है। वर्तमान परिदृश्य बताता है कि हिन्दू समाज में विवाह–विच्छेद की घटनाएं पूर्व में तुलना में बढ़ी हैं।

विवाह–विच्छेद की अवधारणा पर सूचनादात्रियों का अभिमत को जानने के लिए अध्येत्री द्वारा उनसे प्रश्न किया गया कि आप आज के परिवेश में विवाह–विच्छेद/ तलाक को कैसा मानती हैं? प्रत्युत्तर स्वरूप प्राप्त अभिमत को सारणी–8 में दर्शाया गया है–

सारणी–8

विवाह–विच्छेद/तलाक के प्रति सूचनादात्रियों का अभिमत

विवाह–विच्छेद को आप कैसा मानती हैं?	एकल अविवाहित कारोबारीसूचनादात्री		एकल अविवाहित गैर–कारोबारी सूचनादात्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अच्छा	14	40.00	5	35.71	19	38.78
बुरा	21	60.00	9	64.28	30	61.22
कुल योग	35	100.00	14	100.00	49	100.00

सारणी से स्पष्ट है कि कारोबारी एवं गैर–कारोबारी एकल अविवाहित सूचनादात्रियों के क्रमशः 40.00 एवं 35.71 प्रतिशत और कुल सूचनादात्रियों के 38.78 प्रतिशत ने आज के समानतावादी युग में विवाह–विच्छेद को उचित माना है। उनका कहना था कि ऐसे वैवाहिक सम्बन्धों में बंधे रहने से कोई लाभ नहीं, जहां शोषण और उत्पीड़न के अलावा कुछ न हो। एक विवाहित स्त्री (अपवाद को छोड़कर) न्यायालय वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद के लिए तभी जाती है जब वह वैवाहिक सम्बन्धों में 'घोर नरक' महसूस करने लगती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आधुनिकता की ओर कदम बढ़ा रहा शिक्षित स्त्री संवर्ग, समाज के उस परम्परागत विचार को महत्व नहीं दे रहा जिसमें यह कहा जाता है कि पति–पत्नी के सम्बन्ध ईश्वरीय है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इनका यह भी कहना था कि विवाह–विच्छेद में कोई ऐच्छिकता नहीं होती, अपितु यह एक जुर्माने (Punishment) की तरह है जिसे एक स्त्री को असहनीय वैवाहिक कठोरता से मुक्ति पाने के लिए देना पड़ता है। सामान्यतः एक स्त्री कभी भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहती, किन्तु परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ जाता है, जबकि 61.22 प्रतिशत ने समाज हित में अच्छा नहीं बताया। क्योंकि इससे स्त्री वर्ग ही तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होता है।

सारणी–8 से एक तथ्य यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से पति पर निर्भर नहीं होती हैं, उनमें स्त्री स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार के मनोभाव अधिक उभरते हैं। वे अपने को पुरुष वर्ग के समकक्ष ही मानती हैं। इसलिए वर्तमान में जो विवाह–विच्छेद हो रहे हैं उनमें यह कारण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विवाह–विच्छेद के अन्य कारण भी हैं लेकिन जो स्त्रियां आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर होती हैं उनमें तुलनात्मक रूप से

सहनशीलता का स्तर अधिक होता है, जिसके आधार पर वे अपने वैवाहिक सम्बन्धों के निभाने का भरसक प्रयास करती हैं। शोषण और उत्पीड़न की चरम सीमा होने पर इस वर्ग की स्त्रियां भी वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद के लिए मजबूर हो जाती हैं। **खन्ना एवं वर्गीज**(1978) तथा **उर्मिला जैथानी** (1994) के द्वारा किये गये अध्ययनों से भी इसी प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त हुए।

अध्येत्री ने संदर्भ बिन्दु पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली सूचनादात्रियों की शिक्षा और विवाह–विच्छेद के मध्य सम्बन्ध जानने का प्रयास किया, जिसे सारणी–9 में स्पष्ट किया गया है–

सारणी–9

शिक्षा और विवाह–विच्छेद असहमतता में सम्बन्धात्मक स्थिति

शिक्षा स्तर	एकल अविवाहित कारोबारी सूचनादात्री		एकल अविवाहित गैर–कारोबारी सूचनादात्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
प्राइमरी से माध्यमिक	4	19.05	3	33.33	7	23.33
स्नातक से स्नातकोत्तर	9	42.86	3	33.33	12	40.00
प्रशिक्षित स्नातक / स्नातकोत्तर	6	28.57	2	22.22	8	26.67
निरक्षर	2	9.52	1	11.11	3	10.00
अन्य	–	–	–	–	–	–
कुल योग	21	100.00	9	99.99	30	100.00

गुण–साहचर्य एवं सार्थक–सम्बन्ध की गणना

Calculated Chi-Square Value is = 13.350

Degree of Freedom = 3

Chi-Square at 0.05 (P) and at 3 Degree of Freedom is = 7.82

Therefore Result = Significant Relation

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विवाह–विच्छेद से सम्बद्ध सामाजिक मान्यता के प्रभाव को शिक्षा समाप्त नहीं कर पायी है। शिक्षित और उच्च शिक्षित कार्यशील महिलाएं भी विवाह–विच्छेद को अधिक अच्छा नहीं मानतीं। वे महिलाओं को विवाह–विच्छेद सम्बन्धी स्वतंत्रता देने की पक्षधर नहीं हैं। इनका मानना है कि अधिक स्वतंत्रता की स्थिति में सामाजिक नियंत्रण निष्फल हो जायेगा, जिससे सामाजिक प्रदूषण और बढ़ जायेगा जिसका सबसे अधिक नुकसान स्त्री वर्ग को होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे अच्छा और प्रभावी कदम यह होगा कि विवाह करने से पूर्व लड़के और उसके परिवार के विशय में पूर्ण जानकारी ली जाय तथा इसमें लड़की की मर्जी को प्रथम वरीयता दी जाय। यद्यपि यह कहना शत–प्रतिशत सही नहीं होगा कि ऐसा करने के बाद विवाह–विच्छेद नहीं होगा। अतः विवाह–विच्छेद को रोकने के लिए स्थिति के अनुसार सामयिक उपाय किये जाने चाहिए।

इसी प्रकार का निष्कर्ष सारणी–9 के लिए परिकलित 'काई वर्ग मूल्य परीक्षण' से प्राप्त हो रहा है जिसमें उच्च शिक्षित एवं कारोबारी सूचनादात्रियां भी विवाह–विच्छेद को अच्छा नहीं मानतीं। इस प्रकार शिक्षा, रोजगार और विवाह–विच्छेद असहमतता के मध्य सार्थक सम्बन्ध स्पष्ट हो रहा है।

3. महिलाओं की आर्थिक स्वनिर्भरता (कामकाजी) के प्रति दृष्टिकोण :

कामकाजी (Employed) महिलाओं की संख्या में वषद्धि से उनकी आत्मनिर्भरता दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। **प्रमिला कपूर** (1974), **वर्मा** (1960), **वसन्त कुमार**(1964), **नरुला**(1967), **जौहरी**(1970) तथा **सीमा रानी** के अध्ययन भारत में कामकाजी महिलाओं में रोजगार पाने की प्रवृत्ति एवं आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, को स्पष्ट करते हैं।

उक्त अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाएं आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ही घर से बाहर जाकर कार्य नहीं करतीं, बल्कि अन्य सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों एवं प्रलोभनों के कारण भी नौकरी करने के लिए बाहर जाती हैं। अध्येत्री ने प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित सूचनादात्रियों से पृच्छा की कि क्या महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए? सूचनादात्रियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों को सारणी–10 में दर्शाया गया है–

सारणी–10

महिलाओं को नौकरी करने के प्रति अभिमत

क्या महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए?	एकल अविवाहित कारोबारी सूचनादात्री		एकल अविवाहित गैर–कारोबारी सूचनादात्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	32	91.43	8	57.14	40	81.63
नहीं	3	8.57	6	42.86	9	18.37
कुल योग	35	100.00	14	100.00	49	100.00

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि 81.63 प्रतिशत सूचनादात्रियों का मत है कि महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए। इन्होंने स्पष्ट किया कि पारिवारिक आवश्यकताओं एवं वैयक्तिक विकास की दृष्टि से ऐसा करना जरूरी प्रतीत होता है। इसमें कारोबारी महिलाओं का मत प्रतिशत सर्वाधिक (91.43 प्रतिशत) रहा है जबकि 18.37 प्रतिशत ने संदर्भ विन्दु पर नकारात्मक मत प्रकट किया। इनका मानना है कि नौकरी/पेशा वाली महिलाओं को दोहरी भूमिका निर्वाह करनी पड़ती है जिसके कारण वे तनावग्रस्त रहती हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव परिवार एवं स्वयं के स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। इसलिए नौकरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादात्रियां महिलाओं की आर्थिक निर्भरता के प्रति सकारात्मक अभिरूचि रखती हैं।

निष्कर्ष

शोध प्रत्र की विश्लेषणात्मक स्थिति से स्पष्ट है कि एकल अविवाहित कारोबारी गैर–कारोबारी महिलाओं में विवाह संस्था से सम्बद्ध व्यवस्थाओं के प्रति अभिरुचि सकारात्मक नजर नहीं आती। इससे शोध प्रश्न/प्राकल्पना की पुष्टि हो रही है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. वर्मा, मलिक, *''द स्टडी ऑफ द मिडिल क्लास वर्किंग वुमन इन कानपुर'*, द इण्डियन जनरल ऑफ सोशल वर्क्स, 1960, (दिसम्बर), XXX, **28–36**

2. कपाडिया, के0एम0 (1966), *'मेरिज एण्ड फेमिली इन इण्डिया''*, ऑक्सफोर्ड यूनि0 प्रेस, बॉम्बे।
3. नरुला, यू0, *''केरियर फेल्यौर अमंग वुमन'',* सोशल वेलफेयर, 1967, (मई), पृ0 **4–5**
4. गोरे, एम0एस0, 1968, *''अर्बेनाइजेशन एण्ड फेमिली चेंज'',* पापूलर प्रकाशन, बॉम्बे।
5. जौहरी, पी0, 1970, *''स्टेट्स ऑफ वर्किंग वुमन,* पी–एच0डी0 थीसिस, लखनऊ वि0वि0 लखनऊ, कोटिड इन उर्मिला, जे0, 1994, 'सिंगल वुमन', विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ0 **83**
6. कपूर, प्रमिला, 1974, *''द चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वुमन इन इण्डिया'',* विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा0लि0, नई दिल्ली।
7. मेहता, वी0, 1979, *''एटीट्यूड ऑफ एज्यूकेटिड वुमन टूवर्डस सोशल इश्यूज,* नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
8. कृष्णाकुमारी, एन0एस0, 1987, *''स्टेट्स ऑफ सिंगल वुमन इन इण्डिया'',* उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
9. जैथानी, यू0, 1994, *''सिंगल वुमन'',* रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, नई दिल्ली।
10. फोन्सेका, एम0, *काउन्सिलिंग फॉर मेरिटल हैप्पीनेस''*, मनकतालास, बॉम्बे।
11. रानी, सीमा, *'कामकाजी महिलाओं की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका''*, अप्रकाशित शोध ग्रंथ, एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड वि0वि0, बरेली, 2001
12. https://www/quora.com
13. https://www.censusindia.co.in